● बजट :

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म. प्र. बी.सी.ओ. को म. प्र. राज्य शासन से आवंटन प्राप्त होता है. विभाग द्वारा मांग संख्या 29-न्याय प्रशासन और निर्वाचन 2015-निर्वाचन के विभिन्न उप मदों के अन्तर्गत 51 जिला निर्वाचन अधिकारियों को एवं मुख्यालय के डी.डी.ओ. को बजट आवंटित कर व्यय का लेखा रखा जाता है. इस बजट मद में उप मद-102-निर्वाचन अधिकारी, 103-मतदाता सूचियां तैयार करना एवं मुद्रण, 105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार, 106-राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन कराने का प्रभार एवं 108-मतदाताओं को फोटोयुक्त परिचय पत्र जारी करने में किया गया व्यय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 50-50 प्रतिशत वहन किया जाता है. मद 105-संसद के चुनाव कराने के प्रभार से संबंधित है इस मद में किया गया व्यय 100 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है. उप मद 106-राज्य विधान सभा का चुनाव कराने के लिए प्रभार में किया गया व्यय 100 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अथक प्रयास से आयुक्त, कोष एवं लेखा, वित्त विभाग के द्वारा पुराने लंबित रोकी गई राशियों का विशेष लेखा मिलान का कार्य करवाया गया. आयुक्त, कोष लेखा द्वारा वर्ष 2000-2001 से 2009-2010 तक लेखा मिलान किया गया तदानुसार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के लेखाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 तक के लेखा मिलान का कार्य पूर्ण किया गया. लेखा मिलान के कार्य से यह ज्ञात हुआ कि 2000-2001 से 2013-14 तक एवं लोक सभा चुनाव कि व्यय की गई राशि को मिलाकर दोनों की कुल योग राशि रु. 160 करोड़ का प्रस्ताव केन्द्रीय शासन विधि एवं न्याय मंत्रालय को प्रेषित किए गए, जिस पर राशि देने का विचार चल रहा है.

वित्त वर्ष 2011-2012, 2012-2013 व 2013-2014 का विवरण निम्नानुसार है :—
(31 मार्च 2015 की स्थिति)

मद (1)	बजट मद (2)	वास्तविक व्यय (2011-2012) (3)	वास्तविक व्यय (2012-2013) (4)	वास्तविक व्यय (2013-2014) (5)	माह जनवरी, 2015 तक का वास्तविक व्यय (6)
102 निर्वाचन अधिकारी					
11-001	वेतन	5,30,05,000/-	6,06,55,000/-	2,49,32,550/-	6,35,18,320/-
12	मजदूरी	7,95,000/-	46,22,000/-	1,34,366/-	98,529/-
16-001	वेतन भत्ता आ.भा.से.	17,97,000/-	29,35,000/-	10,19,418/-	30,62,426/-
21-001	यात्रा भत्ता	9,35,000/-	14,54,000/-	1,38,264/-	5,94,971/-
22	कार्यालय व्यय	49,39,000/-	5,94,32,000/-	3,37,86,010/-	46,85,070/-
23	वाहन क्रय	6,44,000/-	6,99,038/-	14,60,322/-	निरंक
31-007	परिवहन व्यवस्था	4,94,000/-	6,29,000/-	15,26,800/-	3,89,376/-
33-003	वाहन अनुरक्षण	50,000/-	38,085/-	2,026/-	63,206/-
63	मशीनें एवं संयंत्र	28,68,000/-	4,28,303/-	-	निरंक
मतदेय योग :		6,55,27,000/-	13,04,64,000/-	6,29,99,756/-	7,20,22,522/-
भारित		50,000/-	2,87,000/-	-	4,89,904/-
103	मतदाता सूचियां तैयार करना एवं मुद्रण.	41,85,54,000/-	43,41,03,000/-	30,82,55,943/-	26,76,98,526/-
105	संसद के चुनाव कराने के प्रभार.	82,14,000/-	41,57,000/-	2,00,36,889/-	91,07,42,956/-
106	राज्य विधान मंडल के निर्वाचन कराने का प्रभार.	1,39,25,000/-	94,19,000/-	72,08,46,671/-	12,73,28,246/-
108	मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना.	56,28,02,000/-	72,91,38,000/-	20,51,91,888/-	32961136/-
	महायोग मतदेय योग :	18,61,87,000	72,26,28,513/-	72,03,85,786/-	1410753386/-
	भारित	50,000/-	2,87,000/-	4,60,885/-	489904/-